

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/पीएसपीसी/आरटीई/शासन के पत्र/60316/ दिनांक : 15.02.2019


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, (मुख्यालय)
समस्त जिले।

Email से आज ही

विषय :- आरटीई भौतिक सत्यापन टाईम फ्रेम के सम्बन्ध में।
संदर्भ शिविरा/प्रार/पीएसपीसी/बी/भौतिक सत्यापन/19671/2017-18/282
दिनांक 14.02.2019 के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि आरटीई शैक्षिक सत्र 2018-19 में आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर भौतिक सत्यापन सम्बन्धी कार्य हेतु निम्नानुसार टाईम फ्रेम जारी किया गया है। इस अनुसार आरटीई भौतिक सत्यापन सम्बन्धी कार्य किया जाना सम्पादित करावें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करें।

क्र.स.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
1	भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण	18.02.2019 तक
2	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	19.02.2019 से 21.02.2019 तक
3	विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	19.02.2019 से 22.02.2019 तक
4	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना।	19.02.2019 से 25.02.2019 तक


सहायक निदेशक,
पीएसपी-सी, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर.

- प्रतिलिपि : सूचनार्थ 1. राज्य समन्वयक, पीएसपी-सीसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. उप निदेशक आरटीई प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य सम्पादित करावें।

www.rajteachers.com


सहायक निदेशक,
पीएसपी-सी, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर.

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/पीएसपीसी/आरटीई/शासन के पत्र /60316/ दिनांक : 15.02.2019

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, (मुख्यालय)
समस्त जिले।

Email से आज ही

विषय :- आरटीई भौतिक सत्यापन टाईम फ्रेम के सम्बन्ध में।
संदर्भ शिविरा/प्रार/पीएसपीसी/बी/भौतिक सत्यापन/19671/2017-18/282
दिनांक 14.02.2019 के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि आरटीई शैक्षिक सत्र 2018-19 में आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर भौतिक सत्यापन सम्बन्धी कार्य हेतु निम्नानुसार टाईम फ्रेम जारी किया गया है। इस अनुसार आरटीई भौतिक सत्यापन सम्बन्धी कार्य किया जाना सम्पादित करावें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करे।

क्र.स.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
1	भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण	18.02.2019 तक
2	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	19.02.2019 से 21.02.2019 तक
3	विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	19.02.2019 से 22.02.2019 तक
4	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना।	19.02.2019 से 25.02.2019 तक

— 36 —
सहायक निदेशक,
पीएसपी-सी, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर.

- प्रतिलिपि : सूचनार्थ 1. राज्य समन्वयक, पीएसपी-सीसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. उप निदेशक आरटीई प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य सम्पादित करावें।

www.rajteachers.com


सहायक निदेशक,
पीएसपी-सी, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर.